International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 02(I), April - June, 2022, pp.164-166

चित्तौड़गढ (राजस्थान) जिले में अफ़ीम की कृषि के सामाजिक प्रभावो का विश्लेषण

महेश कुमार मीणा*

सार

चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के दक्षिण एवम् दक्षिण पूर्वी भाग में 24^{0}13′ से 25^{0}13′ उत्तरी अंक्षाश और 74^{0}04′ से 75^{0}53′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके पूर्वी भाग में कोटा जिला ओर मध्यप्रदेश का नीमच जिला, दक्षिण में प्रतापगढ जिला पश्चिम में उदयपुर एवम् राजसमन्द जिले तथा उत्तर में भीलवाड़ा और बूंदी जिले स्थित है। चित्तौडगढ की सामाजिक संरचना में भी अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या अधिक है अतः अफ़ीम अनुज्ञप्तिधारियों में भी इनकी संख्या ज्यादा है। चित्तौडगढ़ में अन्य कृषकों की तुलना में अफ़ीम अनुज्ञप्तिधारियों की आय में निश्चित रूप से निरन्तरता रहती है लेकिन जलवायु व अफ़ीम नीति में वार्षिक परिवर्तन का प्रभाव अफ़ीम उत्पादकों पर पड़ता है। तथा सीमा से कम मार्फिन होने पर किसानों के लाइसेंस भी रद्द कर दिये जाते है। तीन वर्षों (2017, 2018, 2019) में चित्तौड़गढ में 15000 किसानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए।

शब्दकोशः *सामाजिक संरचना, अनुज्ञप्तिधारी, अफ़ीम नीति, जलवायु*

प्रस्तावना

चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के दक्षिण एवम् दक्षिण पूर्वी भाग में 24^{0}13′ से 25^{0}13′ उत्तरी अंक्षाश और 74^{0}04′ से 75^{0}53′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके पूर्वी भाग में कोटा जिला ओर मध्यप्रदेश का नीमच जिला, दक्षिण में प्रतापगढ जिला पश्चिम में उदयपुर एवम् राजसमन्द जिले तथा उत्तर में भीलवाड़ा और बूंदी जिले स्थित है। चित्तौडगढ़ जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क है और औसत अधिकतम एवम् औसत न्यूनतम तापमान 35.7 डिग्री एवम् 21 डिग्री सैटीग्रेड है। तथा औसत वार्षिक वर्ष 841.5 मिलीमीटर है। यहां खरीफ फसलों के अन्तर्गत मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार तथा रबी की फसलों के अन्तर्गत गेहूँ, सरसो तथा गन्ना की फसल उगाई जाती है। अफ़ीम चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नकदी फसल है जो रबी ऋतु में उगाई जाती है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का अग्रणी अफ़ीम उत्पादक जिला है। जिले की सभी ग्यारह तहसीलों में अफ़ीम की फसल उगाई जाती है।

अफ़ीम एक नकदी फसल है। जिसका उत्पादन औषधीय उद्देश्य से किया जाता है। एन.डी.पी.एस. एक्ट की अनुमति और मेडिकल और वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए अफ़ीम की खेती को विनियमित भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नारकोटिक्स की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (CBN) ग्वालियर (मध्यप्रदेश) द्वारा अफीम की खेती के लिए किसानों को लाइसेंस जारी किये जाते है। राजस्थान के झालावाड़, बांरा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ व चित्तौड़गढ़ जिलों के अधिसूचित क्षेत्रों में अफ़ीम की खेती की जाती है।

---

* सहायक आचार्य–भूगोल, राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, दौसा।

अफ़ीम की खेती का सामाजिक प्रभाव

सामान्यतः यह एक प्रचलित धारणा है कि अफ़ीम उत्पादकों का जीवन स्तर ऊँचा होता है। क्योंकि अफ़ीम एक बेहतर नकदी फसल है तथा आय का नियमित स्त्रोत है। अन्य फसलों के उत्पादकों की तुलना में यह एक अध्ययन का विषय है, वास्तविक स्थिति को जानने के लिए यहां ऑकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

राजस्थान का दक्षिणी भाग जो जनजाति समुदाय की सघनता के कारण जनजाति उपयोजना (TSP) के अन्तर्गत आता है। चित्तौड़गढ जिला भी इस भाग के अन्तर्गत आता है। अतः यह सम्भव है कि अफ़ीम का उत्पादन करने वाले अधिकांश कृषकों का संबंध अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय से हो। इसके विश्लेषण के लिए अनुज्ञप्तिधारियों को सामाजिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। साथ ही यह ज्ञात करने की कोशिश की, कि जिन अनुज्ञप्तिधारियों की जमीन एवम् अनुज्ञप्ति है, वे ही अफ़ीम की खेती करते है अथवा निम्न आय स्तर व नवाचारो के अभाव में उनकी जमीन एवम् अनुज्ञप्ति अन्य कृषकों द्वारा प्रयोग (लीज) में ली जाती है।

सामाजिक स्तर के अनुसार अफ़ीम उत्पादक अनुज्ञप्तिारियों का विवरण

क्र.सं.	अनुज्ञप्तिधारियों की श्रेणी	निम्बाहेडा		बडी सादडी		गंगरार		सम्पूर्ण प्रतिदर्श	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	5	10	2	7	2	10	9	9
2.	अनुसूचित जनजाति	5	10	3	10	3	15	11	11
3.	अन्य पिछडा वर्ग	36	72	22	73	13	65	71	71
4.	सामान्य	4	8	3	10	2	10	9	9
5.	अनुज्ञाप्तिधारियों की कुल संख्या	50		30		20		100	

सारणी से स्पष्ट होता है कि तीनां तहसीलों में अनुसूचित जाति व जनजाति के अनुज्ञाप्तिधारियों की संख्या काफी कम है प्रतिदर्श में सबसे अधिक अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग की है।

चित्तौडगढ की सामाजिक संरचना में भी अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या अधिक है अतः अफ़ीम अनुज्ञप्तिधारियों में भी इनकी संख्या ज्यादा है। चित्तौडगढ़ में अन्य कृषकों की तुलना में अफ़ीम अनुज्ञप्तिधारियों की आय में निश्चित रूप से निरन्तरता रहती है लेकिन जलवायु व अफ़ीम नीति में वार्षिक परिवर्तन का प्रभाव अफ़ीम उत्पादकों पर पड़ता है। तथा सीमा से कम मार्फिन होने पर किसानों के लाइसेंस भी रद्द कर दिये जाते है। तीन वर्षों (2017, 2018, 2019) में चित्तौड़गढ में 15000 किसानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए।

फिर भी अफ़ीम कृषकों की आय अन्य कृषकों से अधिक होने के कारण इनकी प्रति व्यक्ति आय व सामाजिक स्तर बेहतर होता है। अफ़ीम कृषक सामाजिक दृटि से प्रतिष्ठित एवम् साधन सम्पन्न होते है। इसी साख के कारण इन्हें कृषि व अन्य उद्देश्यों के लिए ऋण या वित्त आसान शर्तो में उपलब्ध हो जाता है। जिससे अफ़ीम कृषकों ने आधारभूत आगतो जैसे सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक आदि का उपयोग कर अफ़ीम की कृषि को विकसित किया है।

अफ़ीम की खेती व सामाजिक तनाव

अफ़ीम की खेती के लिए प्रति वर्ष नारकोटिक्स विभाग (ब्ठछ) द्वारा अफ़ीम नीति जारी की जाती है तथा किसानों को अनुज्ञप्ति जारी की जाती है साथ ही मार्फिन के लिये प्रति वर्ष मापदण्डों में परिवर्तन किया जाता है। जो कि लाइसेंस/अनुज्ञप्ति का आधार होता है। अनुज्ञप्ति के रद्द होने पर सामाजिक तनाव की स्थिति देखने को मिलती है तथा कई बार आंदोलन की स्थितियां भी देखने को मिली है। चूँकि अफ़ीम की खेती पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में की जाती है तथा मार्फीन की कीमतों का निर्धारण भी सरकार द्वारा ही तय किया जाता है जो कि बहुत अधिक नहीं होता है। लेकिन अफ़ीम एक मादक पदार्थ भी है जिससे इसकी तस्करी होती है जो कि गैर कानूनी है, लेकिन तस्करी से प्रति किलोग्राम से लाखों की आय होती है जो चित्तौडगढ़ में अपराध व सामाजिक तनाव का कारण है।

निम्न तालिका में 10 वर्ष (2009 से 2018) में भारत में मार्फिन से जुड़े केस व जब्त मार्फिन को दर्शाया गया है :–

वर्ष	मार्फिन से जुड़े केस	मार्फिन की जप्त मात्रा कि.ग्रा.
2009	13	48.38
2010	15	82.24
2011	9	65.89
2012	8	94.58
2013	16	91.61
2014	9	296.75
2015	9	40.94
2016	12	43.71
2017	14	33.83
2018	2	19.58

Source: (CBN) Westsite

तालिका से स्पष्ट है कि मार्फिन की मात्रा जो पकड़ी गई है उसकी कीमते करोड़ों में है तथा तस्करी की मात्रा, पकड़े गये केसो की तुलना में काफी अधिक रही होगी ऐसी सम्भावना की जा सकती है। जिससे प्राप्त आय निश्चित रूप से सामाजिक असमानता को बढायेगी और सामाजिक तनाव की स्थिति बनेगी।

अफ़ीम तस्करी अपराध, भष्टाचार और सामाजिक समूह के लिए खतरा

अफ़ीम के अवैध उत्पादन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, वितरण व उपभोग की वजह से देश में अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी देखी गई। अवैध तस्करी, तस्करो ंके मध्य हिंसक झड़पे बढ़ रही है। साथ ही चोरी व वैश्यावृत्ति जैसे अपराधों को भी बढ़ावा मिल रहा है। अवैध तस्करी वाले संगठनों की साठ–गाठ आंतकवादियें, अलगाववादियों व उग्रवादियों तक होती है। कई बार अवैध तस्करी व इससे कमाया पैसा, स्थायी सरकारों के लिए भी एक चिंताजनक विषय बन जाता है। अवैध पैसे का चुनावों में उपयोग, राजनीति का अपराधीकरण, राजनेताओं की सह से अवैध उत्पादन को बढ़ावा जैसे सामाजिक मुद्दों देखने को मिल रहे है।

अफ़ीम की तस्करी से प्राप्त होने वाली अवैध आय युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है जिससे उनकी अपराधों में संलप्पिता बढ़ जाती है। अफ़ीम के सेवन की वजह से युवाओं का शिक्षा से मोह भंग हो जाता हे तथा अपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते है। ड्रग्स के सेवन से होने वाली मौतों में हेरोइन व अफ़ीम का क्रम सर्वोच्च है। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की वजह से अस्थिर पारिवारिक जीवन, बेरोजगारी, बेहतर जीवन–स्तर, आस्तित्व का खतरा रहता है। इन सभी समस्याओं के समग्र में सामाजिक संस्थाओं का विघटन तेजी से होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल एन.एल. (2003) ''भारतीय कृषि का अर्थतंत्र'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
2. भट्टाचार्य, आर. (2007) ''द गोल्डन ट्राईगल ऑफ अफगान ओपियन लेशन फार अफगानिस्तान''
3. रिपोर्ट (2018, 2019, 2020) नारकोटिक्स विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4. दैनिक भास्कर (20 व 27 जुलाई 2021)।
5. Financial Express & April 2019

❖◆❖